प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

संख्याः 314 /ईपीडी0/सूखा प्रबन्धन-दो,दिशा निर्देश/2014-15 दिनांकः 9.4.2014

विषयः ग्रीष्मकाल सूखा की तैयारियों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपं अवगत है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में पशु चारे एवं पीने के पानी की कमी हो जाती है। इस कारण पशुधन में उत्पाद की कमी के साथ समुचित देखरेख न होने से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। विभिन्न संकामक रोगो के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राज्य आपदा प्रबंधन नीतिकरण के अनुसार राहत केन्द्र के स्थान पर आपदा के प्रभावों को न्यूनीकृत करने के लिए पूर्व तैयारी की रणनीति बनाई गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में पशुओं पर ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जनपदवार सूखा प्रबंधन योजना बना लें जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेशित करना लाभदायी रहेगा :-

1- आहार/भूसे की व्यवस्था :- सूखे के दौरान राशन एवं भूसे के मूल्य में काफी बृद्वि हो जाती है इसके लिए जनपद में पशुओं हेतु भूसे की मांग एवं उपलब्धता तथा भूसा व्यापारियों से विचार विमर्श कर आंकलन कर लें और भूसा व्यापारियों के साथ भूसा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

2- पीने के पानी की व्यवस्थाः- ग्रीष्म काल में पशुओं को पानी की उपलब्धता काफी कम हो जाती है जिसके लिए जनपद में उपलब्ध तालाब/कुओं आदि को राजस्व विभाग के सहयोग से भरवाना सुनिश्चित करें। प्रतिवर्ष सिचाई विभाग द्वारा इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग/जल निगम/नगर निगम/अधिशासित निकाय में उपलब्ध टैंकर की संख्या का भी आंकलन कर लिया जाय ताकि विषम परिस्थिति होने पर इनको जल आपूर्ति हेतु प्रयोग में ला जा सकें ।

3- हाइड्रोसाइनिक एसिड विषाक्तता :- सूखे के दौरान सिंचाई के समुचित साधन न होने के कारण चरी (हरा चारा) में विषाक्तता हो जाती है। सूखे के दौरान चरी खिलाने से पशु की मृत्यु तक हो जाती है। इसके बचाव के लिए एक सप्ताह से अधिक सिचाई न हुए खेत में उत्पन्न चरी को चारे हेतु न प्रयोग किया जाय ।

4- रोग नियंत्रण :- सूखे के दौरान पशुओं में लू लगना (हीट स्ट्रोक) डायरिया, डी हाईड्रेशन एवं एच0सी0एन0 विषाक्तता प्रमुख रूप से होती है। इससे बचार के लिए समुचित मात्रा मं सोडियम बायोसल्फेड, ग्लूकोज, नार्मल स्लाइन, एन्टी हिसटेमिनिक एवं अन्य जीवन रक्षक दवाओं का समय से कय कर लिया जाय तथा पशु चिकित्सालयों पर इनकी उपलब्धता समय से करा दिया जाना भी आवश्यक रहेगा ।

5- चिकित्सा टीम का गठन :- जनपद में गत वर्षो के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उन चिकित्सालयों पर उपलब्ध मानव संसाधन को इस संबंध में अवगत कराते हुए किसी भी स्थिति में तैयार रहने को मार्ग दर्शन देते हुए निर्देशित करना सुनिश्चित करें। जनपद स्तर पर आपदा की स्थिति से निपटने के लिये पशु चिकित्साधिकारियों को विशेष चिकित्सालय हेतु नामित करने के साथ ही औषधियों एवं वाहन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें ।

6- सूखा राहत नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था :- जनपद में सूखा जैसी स्थिति आने पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय जिसमें कर्मचारियों की डियूटी 24 घण्टे रखी जाय एवं इस दूरभाष नम्बर की सूचना प्रत्येक विकास खण्ड एवं चिकित्सालय पर चस्पा की जाय ।

7- शासकीय शुल्क की वसूली स्थगित करना :- आपदा जैसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राजस्व विभाग के शासनादेश के कम में पशुपालको से उपचार हेतु पंजीकरण राशि को माफ कराने की कार्यवाही की जाय ।

8- पशु राहत शिविर की स्थापना :- सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशु राहत शिविर की स्थापना की जाय जिसमें पशुओं को भूसा, चारा, पानी आदि की उपलब्धता के साथ ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय। भारत सरकार के नवीनतम मानक के अनुसार 50 रू0 प्रति बड़े पशु तथा 25 रू0 प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की अनुमन्यता की गई है।

निर्देशित किया जाता है कि सूखा प्रबंधन हेतु तैयार प्लान की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त सूखा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या/जानकारी हेतु निदेशालय स्थित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष सं0 0522-2741991, 0522- 2741992 एवं फैक्स सं0 0522-2740332 पर सम्पर्क करें। संयुक्त निदेशक (ईपीडि) मुख्यालय से भी सम्पर्क करें जिन्हें इसका प्रभारी नामित किया जाता है। पशुओं में होने वाली किसी भी बीमारी से मुख्यालय को आपदा काल के दौरान तत्काल अवगत कराया जाय । पशुधन रक्षा एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी ।

भवदीय,

9/4/14

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्याः 314 /ईपीडी0/सूखा प्रबन्धन-दो,दिशा निर्देश/2014-15 दिनांकः- 9.4.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2- संयुक्त निदेशक (ईपीडि)/रोग नियंत्रण, पशुपालन निदेशालय, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ ।
5- प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

9/4/14

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।